अपीलनामा प्र.सं. 36/2021 चेतरसिंह V/S बालुसिंह

न्यायालय जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

FORM No. III

फर्दअहकाम

(नियम 26)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
05-11-2024	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलार्थी उपस्थित। वकील रेस्पोडेन्ट अनुपस्थित। वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा गत पेशी पर भी बहस हेतु अवसर चाहा गया था। न्यायहित में अंतिम अवसर दिया जाकर निर्देशित किया जाता है कि आगामी पेशी पर आवश्यक रूप से उपस्थित होकर बहस करें। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 21.11.2024 को पेश करें। जिला कलक्टर भीलवाड़ा
21-11-24	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित, पीठासीन अधिकारी जी VC मीटिंग में व्यस्त है। अतः पत्रावली आयन्दा कार्यवाही के लिए दिनांक 12-12-24 को पेश हो। रीडर जिला कलक्टर भीलवाड़ा
10-12-24	पत्रावली पेश हुई। जिला अभिभाषक संस्था, भीलवाड़ा द्वारा न्यायिक कार्य स्थगित रखा गया है। अतः पत्रावली आईन्दा कार्यवाही के लिये दिनांक 18-2-25 को पेश हो। रीडर जिला कलक्टर भीलवाड़ा
18-02-2025	पत्रावली पेश हुई। वकील फरीकेन उप.। पत्रावली का अवलोकन करने पर न्यायालय के संज्ञान में आया कि विचाराधीन अपील में अधीनस्थ तहसीलदार द्वारा अन्तर्गत धारा 135(2) L.R. Act. के तहत पक्षकारान को सुन कर निर्णय पारित किया है। जिसकी प्रथम अपील सुनवाई का प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं होकर भू राजस्व अधि. की धारा 75 (1) (F) के तहत निदेशक-भू अभिलेख, संभागीय आयुक्त के क्षेत्राधिकार में निहीत है। इससे अपीलार्थी भी सहमत है। ऐसी स्थिति में अन्तर्गत आदेश 07 नियम 10 CPC के प्रावधानों के तहत लौटाया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है। अतः अपील अपीलार्थी को सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु लौटाई जाने का आदेश दिया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड उन्हें अविलम्ब लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो। (जसमीत सिंह संधू) जिला कलक्टर भीलवाड़ा